निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 ज्येष्ठ 1936 (श0)
(सं0 पटना 479) पटना, मंगलवार, 3 जून 2014

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

3 मार्च 2014

सं0 2266—नालंदा जिलान्तर्गत श्री हनुमान मंदिर, चंडी बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0–3388/99 है।

इस न्यास के लिए एक न्यास समिति का गठन पर्षदीय ज्ञापांक–3311, दिनांक 01/10/1999 द्वारा अंचलाधिकारी, चंडी, नालंदा की अध्यक्षता में किया गया था। न्यास समिति के कार्यकलाप के बारे में पर्षद को लगातार शिकायत मिलती रही है। अंचलाधिकारी–सह–अध्यक्ष श्री हनुमान मंदिर न्यास समिति, चंडी, नालंदा ने अपने पत्रांक– 644, दिनांक 18/06/12 के माध्यम से न्यास समिति पर गंभीर आरोप लगाये हैं। उन्होंने न्यास समिति को चंद लोगों की पॉकेट की संस्था बताया। न्यास समिति द्वारा चंदे की उगाही, मंदिर परिसर के दुकानों से किराये की उगाही आदि द्वारा पैसे इकट्ठे किये जाने, किंतु इनके बही खाते का समुचित संधारण नहीं करने एवं मंदिर निर्माण हेतु एकत्रित पैसे का निजी कार्यों में उपयोग करने जैसे गंभीर आरोप लगाये गये। पत्र में उन्होंने पुरानी न्यास समिति को भंग करने एवं उसके स्थान पर नवीन न्यास समिति के गठन हेतु नौ व्यक्तियों का नाम उनके पदनाम सहित पर्षद को भेजा।

पर्षदीय पत्रांक–1177, दिनांक 11/09/12 द्वारा कार्यरत न्यास समिति से अंचलाधिकारी–सह–अध्यक्ष श्री हनुमान मंदिर न्यास समिति के पत्रांक–644, दिनांक 18/06/12 के आलोक में स्पष्टीकरण पूछा गया। न्यास समिति द्वारा प्रस्तुत जबाब असंतोषप्रद पाया गया। पुनः न्यास समिति को पर्षदीय पत्रांक–1744, दिनांक 27/12/12 द्वारा कारण–पृच्छा की नोटिस दी गयी। न्यास समिति ने पुनः असंतोषप्रद जबाब दिया एवं पर्षद पर ही आरोप लगाये।

तत्पश्चात पर्षदीय पत्रांक–560, दिनांक 26/06/13 द्वारा न्यास समिति से बिन्दुबार स्पष्टीकरण की मांग की गयी एवं कहा गया कि क्यों नहीं धारा–29 (2) के तहत उक्त न्यास समिति को भंग कर दी जाय। न्यास

समिति से विगत 13 (तेरह) वर्षों का प्रगति प्रतिवेदन की भी मांग की गयी, जिसे न्यास समिति द्वारा समर्पित नहीं किया। न्यास समिति द्वारा मंदिर परिसर स्थित दुकानों के किराये की राशि क्रमशः 2 रू0, 3 रू0 एवं 5 रू0 प्रतिदिन बतायी गयी है, जो वास्तविक प्रतीत नहीं होता है। न्यास समिति द्वारा आय–व्यय के विवरण में वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2008–09 में 100/– रू0 मात्र की वृद्धि दिखायी गयी है, जबकि वित्तीय वर्ष 2011–12 में 1000/– रू0 मात्र की वृद्धि दिखायी गयी है। इस तरह न्यास समिति द्वारा प्रेषित विवरण मनगढंत एवं वास्तविकता से परे था।

न्यास समिति द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण की भाषा शिष्ट नहीं थी एवं पर्षद पर ही आधारहीन आरोप लगाये गये। न्यास समिति के जबाब से स्पष्ट है कि समिति येन–केन–प्रकारेन अपने पद पर बने रहना चाहती है।

उपरोक्त परिस्थिति इस विषय को पर्षद की बैठक दिनांक 18/12/2014 में विचारार्थ रखा गया। पर्षद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि कार्यरत समिति को अधिनियम की धारा–29 (2) के तहत विघटित कर नवीन न्यास समिति अनुमण्डल पदाधिकारी, चंडी, नालंदा की अध्यक्षता में गठन की जाय।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 के अन्तर्गत में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए अनुमडल पदाधिकारी, चंडी, नालंदा की अध्यक्षता में **श्री हनुमान मंदिर, चंडी, नालंदा** के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री हनुमान मंदिर न्यास योजना,** चंडी, नालंदा'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री हनुमान मंदिर न्यास समिति,** चंडी, नालंदा'' जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्तियों की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ, तीर्थ–यात्री एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के बजट, आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा, तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद की बैठक दिनांक 18/12/2013 में लिए गये निर्णय के आलोक में अनुमडल पदाधिकारी, चंडी, नालंदा की अध्यक्षता में पर्षद द्वारा निरूपित इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक न्यास समिति गठित की जाती है :–

(1)	अनुमण्डल पदाधिकारी, चंडी, नालंदा	–	अध्यक्ष
(2)	श्री रामानुज प्रसाद सिन्हा	–	सचिव
(3)	श्री कमल किशोर शर्मा	–	कोषाध्यक्ष
(4)	श्री अरूण चौधरी	–	सदस्य
(5)	श्री तपेश्वर सिंह	–	,,
(6)	श्री राजेश कुमार सिन्हा	–	,,
(7)	श्री बिन्दा सिंह	–	,,
(8)	श्री मिथलेश कुमार	–	,,
(9)	श्री दिनेश कुमार	–	,,

12. उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 10/03/2014 से अगले 05 वर्षों की होगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति की निरन्तरता कायम रहेगी।

विश्वासभाजन,

किशोर कुणाल,

अध्यक्ष ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) **479**-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in